श्री अभय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–27.06.2014 को तेतरिया प्रखण्ड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालयों का औचक निरीक्षण टिप्पणी ।

दिनांक–27.06.2014 को 02:15 बजे अपराह्न तेतरिया प्रखंड, अंचल एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्नवत् है :–

A. प्रखंड कार्यालय

1. इन्दिरा आवास

इन्दिरा आवास विशेष शिविर में अद्यतन उपलब्धि की समीक्षा के क्रम में पंचायतवार स्थिति निम्नवत् पाई गई :–

क्र0	पंचायत का नाम	वर्ष 2013–14 का कुल लक्ष्य	दिनांक–27.06.14 की विशेष शिविरत में प्राप्त उपलब्धि
1	घेघवा	14	0
2	कोठिया	30	06
3	पुनास लहलादपुर	35	0
4	तेतरिया	40	02
5	मधुआहॉ वृत	26	0
6	बहुआरा गोपीसिंह	22	0
7	सेमराहॉ	19	0
8	नरहॉ पानापुर	12	04
9	मेघुआ	08	04
	कुल योग	206	16

निरीक्षण के समय श्री चन्दन कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–मेन्टर पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आयोजित इन्दिरा आवास विशेष शिविर में वितरित इन्दिरा आवास की 16 पासबुक के विरूद्ध 15 में 60,000 तथा एक में 50,000 की दर से पहले किस्त का भुगतान किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुसार 53 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का वितरण किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी शून्य उपलब्धि वाले पंचायतों के पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपना मंतव्य संसूचित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करें कि **शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाय।** संबंधित पंचायत सचिव से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय कि **उनके पंचायत में इन्दिरा आवास हेतु किसी विशेष श्रेणी (अनु.जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक) में कोई योग्य लाभार्थी शेष नहीं हैं।**

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

2. <u>उपस्थिति पंजी</u>

उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया। जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री संजीव कुमार, कार्यपालक सहायक दिनांक–26.06.14 एवं 27.06.14 को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। उपस्थिति पंजी में उनके नाम के सामने CL लिखा हुआ है, परन्तु उस पर क्रॉस किया हुआ पाया गया। इसी तरह, श्री रमेश कुमार, कार्यपालक सहायक दिनांक–19.06.2014 से 21.06.2014 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उपर्युक्त दोनों कार्यपालक सहायकों से अनुपस्थित अवधि के वेतन की कटौती करना सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

3. <u>लोक सूचनाओं का अधिकार अधिनियम</u>

लोक सूचनाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस प्रखंड में विभिन्न सेवाओं में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कुल–163 आवेदन–पत्र लंबित हैं, परन्तु निर्धारित समय–सीमा के बाद की अवधि का कोई आवेदन–पत्र लंबित नहीं है।

अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी लंबित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर करते हुए अनुपालन संसूचित करेंगे।

<u>(अनुपालन–अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी)</u>

4. <u>जन शिकायत</u>

जन शिकायत पंजी का अवलोकन किया गया। स्थिति निम्नवत पाई गई :–

कमांक	कहाँ से प्राप्त हुआ	प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या	निष्पादित	लम्बित
1.	मुख्यमंत्री जनता दरबार	05	05	0
2.	मुख्यमत्री सेवा यात्रा	06	06	0
3.	मुख्य सचिव/विभागीय सचिव	0	0	0
4.	जिला जनता दरबार	02	0	02
5.	प्रखण्ड जनता दरबार	02	0	02

प्रखंड जनता दरबार से संबंधित पंजी दिनांक–24.06.2014 से संधारित है, जिसमें प्राप्त दोनों मामले दिनांक–27.06.2014 को जॉच हेतु भेजा जाना बताया गया। इसी तरह बताया गया कि जिला जनता दरबार से प्राप्त दो आवेदन–पत्रों को दिनांक–18.06.2014 को जॉच हेतु भेजा गया।

जिला जनता दरबार से संबंधित पुराने पंजी का अवलोकन किया गया, जिसमें 11 मामलों के विरूद्ध 08 मामले निष्पादित दिखाये गये हैं और लंबित 03 मामले नई पंजी में नहीं लाये गये हैं। यह स्थिति असंतोषप्रद है।

प्रधान सहायक को निदेशित किया गया कि **पुराने पंजी के लंबित 03 मामलों की प्रविष्टि नई पंजी में करते हुए अविलम्ब उसके निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे।**

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

5. रोकड़ बही

इस प्रखंड में रोकड़ बही दिनांक–18.06.2014 तक अद्यतन है, परन्तु रोकड़ पंजी में खातावार अद्यतन बैंक विवरणी अंकित नहीं है। नाजीर द्वारा बताया गया कि मातृत्व लाभ योजना, प्रोत्साहन योजना, ट्राईसेम, बुनियादी इन्दिरा आवास योजना मदों में लम्बी अवधि से राशि लंबित पड़ी हुई है। इसे जमा किये जाने की आवश्यकता है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड नाजीर यह सुनिश्चित करेंगे कि **उपर्युक्त मदों में लम्बी अवधि से लंबित पड़ी राशि को उपयुक्त जमा शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन संसूचित करें। बैंक Reconciliation कराने का भी निदेश दिया गया।**

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

B. अंचल कार्यालय

1. उपस्थिति पंजी

उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया। जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री मथुरा महतो, अमीन दिनांक–26.06.14 से 27.06.14 अनुपस्थित हैं। निरीक्षण के समय उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल द्वारा बताया गया कि वे फेनहारा में प्रतिनियुक्त हैं। उपस्थिति पंजी में श्री महावीर प्रसाद, जीप चालक के नाम के सामने दिनांक–20.06.14 से 26.06.14 तक CL अंकित किया हुआ पाया गया, परन्तु आकस्मिक अवकाश पंजी या आकस्मिक अवकाश से संबंधित आवेदन–पत्र उपस्थापित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

अंचलाधिकारी संबंधित जीप चालक से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपना मंतव्य संसूचित करेंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी)

2. माननीय उच्च न्यायालय संबंधी वाद

मांग करने पर माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी उपस्थापित नहीं की गई। बताया गया कि यह पंजी प्रधान सहायक के पास है, जो अनुपस्थित हैं। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस अंचल में सी0डब्लू0जे0सी0 के दो मामले लंबित हैं, जिसमें प्रतिशपथ–पत्र दायर किया जा रहा है।

अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि अविलम्ब लंबित वादों में प्रतिशपथ–पत्र दायर करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी)

3. जन शिकायत पंजी

इस अंचल में यह पंजी संधारित है, परन्तु इसमें किसी प्रकार की प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि जन शिकायत से संबंधित मामलों की प्रविष्टि पंजी में नहीं की गई है।

अंचलाधिकारी जन शिकायत पंजी अविलम्ब अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी)

4. रोकड़ बही

रोकड़ बही का अवलोकन किया गया। रोकड़ बही दिनांक–18.05.2014 तक लिखा हुआ पाया गया, परन्तु इसमें शीर्षवार अद्यतन विवरणी नहीं दर्शाई गई है। रोकड़ बही में दिनांक–01.04.14 से 01.06.14 तक व्यय शून्य दर्शाया गया है। इस संबंध में निम्न निदेश दिए गए :–

1. **जिला लेखा पदाधिकारी, तेतरिया अंचल के लेखा की विस्तृत जाँच कर अपना प्रतिवेदन देंगे।**
2. **अंचलाधिकारी राजस्व वसूली का अद्यतन लेखा–जोखा की विवरणी अनुमंडल पदाधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करेंगे।**
3. **अंचलाधिकारी अद्यतन बैंक Reconciliation कराना सुनिश्चित करेंगे।**

(अनुपालन–जिला लेखा पदा0 / अनु0पदा0 / अंचल अधिकारी)

C. बाल विकास परियोजना कार्यालय

1. उपस्थिति पंजी

औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अनिल कुमार, आई0सी0डी0एस0 का डाटा इन्ट्री ऑपरेटर दिनांक–16.06.14 से 27.06.14 तक बगैर किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। इस माह में इनकी उपस्थिति दिनांक–18.06.2014 को एक दिन दर्ज की गई है।

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के अनुपस्थित अवधि के वेतन की कटौती करने का निदेश दिया जाता है।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / बाल विकास परियोजना पदा0)

2. उच्च न्यायालय वादों की पंजी

इस कार्यालय में यह पंजी नहीं खोली गई है। प्रधान सहायक के अनुसार सी0डबलू0जे0सी0 का एक मामला लंबित है, जिसमें प्रतिशपथ–पत्र दायर हो चुका है।

3. जन शिकायत पंजी

इस अंचल में यह पंजी संधारित नहीं है। प्रधान सहायक द्वारा 04–05 मामला प्राप्त होना बताया गया, जो संदेहास्पद है। ऐसा लगाता है कि प्रधान सहायक द्वारा कोई तथ्य छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रधान सहायक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपना मंतव्य संसूचित करेंगी। साथ थी, जन शिकायत पंजी अविलम्ब संधारित कराते हुए अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगी ।

(अनुपालन–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

D. मनरेगा कार्यालय

1. **उपस्थिति पंजी**

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित थे, परन्तु कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा अनुपस्थित पाये गये।

अनुपस्थित कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा उनके दिनांक–27.06.2014 के वेतन की कटौती करने का निदेश दिया जाता है। उप विकास आयुक्त कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा के कार्यों का मूल्यांकन कर अविलम्ब प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा)

2. **योजना**

पंचायतवार चालू योजनाओं की सूची उपस्थापित नहीं की गई। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि कुल–206 योजनाएँ चल रही है।

कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा उप विकास आयुक्त के माध्यम से पंचायतवार चालू योजनाओं, पूर्ण योजनाओं एवं लंबित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय अद्यतन विवरणी शीघ्र उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त/डी0आर0डी0ए0)

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1296 /गो0
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक 07वीं जुलाई 2014

प्रतिलिपि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तेतरिया पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी/जिला लेखा पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1296 /गो0
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक 01 वीं जुलाई 2014
प्रतिलिपि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1/7

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।